भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 152

(जिसका उत्तर मंगलवार, 08 जुलाई, 2014 को दिया गया)

<u>अनेक डायरेक्टर आइडेन्टिफिकेशन नंबर रखने वाले लोग</u>

152. डा. चंदन मित्रा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में काफी संख्या में लोग अनेक डायरेक्टर आइडेन्टिफिकेशन नंबर रखे हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और
(घ) भविष्य में ऐसे उल्लंघनों से बचने के लिए सरकार द्वारा रोकथाम के क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 7,135 व्यक्तियों के पास, जून, 2011, जब निदेशक पहचान संख्या संबंधी आवेदन की वैधता के लिए आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य की गई, से पूर्व अवधि के कई निदेशक पहचान संख्याएं (डीआईएन) हैं।

हालांकि, कुछ चूककर्ता चूक के प्रशमन के लिए आवेदन कर चुके हैं, एक व्यक्ति द्वारा कई डीआईएन रखने संबंधी सभी मामलों की जांच के निदेश जारी कर दिए गए हैं।

जून, 2011 के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया है।

*****